खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) भारत सरकार ने 18 जनवरी, 1993 को जनवादी चीन की सरकार के साथ और 18 अप्रैल, 1995 को वियतनाम की सामाजवादी गणतंत्र सरकार के साथ भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार ने 11 अक्तूबर, 1994 को फ्रांस सरकार के साथ खनिज गवेषण और विकास में सहयोग के लिए एक प्रोटोकोल पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

चीन की सरकार के साथ अहयोग की प्रकृति में यह परिकल्पित है कि (क) वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों का आदानप्रदान हो और कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। (ख) कार्यशालाओं, सेमिनारों और संगोष्टियों का संयुक्त रूप से आयोजन किया जाए। (ग) प्रकाशित वैज्ञानिक और तकनीकी सूचनाओं, भूवैज्ञनिक प्रकाशन नमूना और मानक नमूनों इत्यादि का आदान प्रदान और (घ) अन्य दूसरे सहयोग जिनपर दोनों पार्टियों की सहमति हो।

फ्रांस के साथ हस्ताक्षरित प्रोटोकोल से निम्नलिखित परियोजनाएं परिकल्पित हैं (क) भू-आंकड़ा प्रबंध पद्धति और भू-भौतिक और भू-रसायन आंकड़े और उपगृह अनुमान पर नक्शे बनाने के लिए बहु-उद्देशीय कम्पयूटर की स्थापना (ख) धातु और अयस्क भण्डारों के अध्ययन के लिए केन्द्र बनाना (ग) प्लेटनियम ग्रुप उपकरण और एमराल्ड के गवेषण के लिए तकनीकी सहायता (घ) हिन्दुस्तान जिंक लि० के प्रचालनों के धातुकर्म कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिए प्लावन पैरामीटरों के इष्टतम बनाने में सहायता (ङ) प्राकृतिक आपदाओं के आंकलन में सहायता (च) विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय भूवैज्ञानिकों के लिए प्रशिक्षण (छ) नीलाम्बर घाटी, केरल में प्लेसर स्वर्ण भंडारों के लिए गवेषण में तकनीकी सहायता। इन परियोजनाओं को भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण आदि भारतीय अभिकरणों द्वारा फ्रांस के बी०आर०जी०एम० जैसे संगठन की सहातया से आरंभ किया जायेगा।

वियतनाम के साथ एमओयू में सहयोग के लिए सूचीबद्ध विभिन्न क्षेत्र हैं (क) खनिज गवेषण भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खनिज गवेषण के विभिन्न चरणों में सहायता देगा (भूभौतिकी और भूरसायन गवेषण और बेधन) और वियतनाम के भूवैज्ञनिकों को भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्र में प्रशिक्षण भी उपलब्ध करायेगा। (ख) खनिज प्रक्रिया और विकासः भारतीज खान ब्यूरो अयस्क निकाय परिष्करण और कम्प्यूटरीकृत तकनीक का प्रयोग करके अयस्क निक्षेपों के आकलन में सहायता देगा (ग) वियतनाम में एक एल्यूमिनियम प्रगालक की स्थापना (घ) वियतनाम में खान और खनिज संसाधनों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना और (ङ) वियतनाम में पेकलांग में स्वर्ण निक्षेप के विकास और खोज में संयुक्त उद्यम की स्थापना।

(ख) और (ग) संभावित क्षेत्र में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारतीय खनिज गवेषण निगम और राज्य के खनन और भूविज्ञान निदेशालय द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है। उत्तर के भाग (क) में सूचीबद्ध करारों के अन्तर्गत कोई दूसरा देश प्रत्यक्ष सर्वेक्षण अथवा विदोहन क्रियाकलाप या इस संबंध में कोई व्यय नहीं करेगा।

Revision of Royalty rate of Minerals

5715. SHRI SARADA MOHANTY:
SHRI RAHASBIHARI BARIK:

Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) the criterion/procedures laid down for the revision of royalty rate of the major minerals;

(b) when was the last revision made in respect of major minerals in Orissa, Bihar, West Bengal and other States;

(c) the expected date of the next revision of the royalty rate of the major minerals; and

(d) the details thereof?

THE MINISTERS OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) Section 9(3) of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 provides that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, amend the Second Schedule so as to enhance or reduce the rate at which royalty shall be payable in respect of any mineral with effect from such date as may

be specified in the notification. Enhancement in the rate of royalty in respect of any mineral cannot be made more than once during any period of three years.

(b) The last revision of rates of royalty on minerals other than coal, lignite and sand for stowing was notified on 17.2.92 in respect of all States except West Bengal and Assam. In respect of West Bengal and Assam, the last revision of rates on minerals other than coal, lignite and sand for stowing was notified on 5.5.87.

(c) and (d) The Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 does not prescribe any time schedule for revision of royalty rates.

Eruption of Volcano in the Andaman and Nicobar Islands

5716. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the eruption of Volcano on the Barren Island of the Andaman and Nicobar Islands; and

(b) if so, the details of the assessment made by the scientist on the impact of Volcano activity?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) and (b) Yes, Sir. The Geological Survey of India (GSI) Scientific team reached Barren Island on 24th January, 1995 and undertook an aerial survey on 31st January, 1995. The Volcanic activity at Barren Island is of basaltic, and esitic nature and indicates active conditions of strombolian type. The present activity is of "Island arc" type and indicates an active volcanotectonic regime.

No loss of life and material, except vegetation in the path of the lava front, has been reported. The nearest inhabitated island is about 70 Km. away from the Barren Island. The eruption is, at the moment, of low magnitude and its effect is local.

गुजरात में इस्पात परियोजनाएं

5717. **श्री संघ प्रिय गौतम:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार द्वारा इस्पात परियोजनाएं स्थापित किए जाने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्रों को आशय-पत्र जारी करने के संबंध में कोई प्रताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस पर कोई उचित कार्यवाही की है; और

(घ) गुजरात सरकार ने किन-किन गैर-सरकारी कम्पनियों की अनुशंसा की है?

इसपात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र को आशय-पत्र जारी करने हेतु गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। औद्योगिक लाईसेंस के लिए संघ सरकार की मंजूरी केवल तभी आवश्यक होती है जब प्रस्तावित परियोजना 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहर की मानक नगरीय क्षेत्र की परिसीमाओं की परिरेखा से 25 कि०मी० के भीतर अवस्थित होनी हो।

Letters Written by M.Ps.

5718. SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) what is the number of letters written by the Members of Parliament to his Ministry during the period from 1st April, 1994 to 31st March, 1995;

(b) what is the number of letters acknowledged out of them;

(c) what is the number of letters in respect of which final replies were sent; and